

अंशुल अधिकारी सिद्धा का कार्यालय

अंगवैध वाद संख्या- 788/2016-17

वाद का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(b) के तहत जाच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा0. दिनांक-13.05.2016

सहपठित-01 गुजुल गुरुजी प्रदेशक, भू-अर्जा-वाद-विशेष मिला सारव प्र भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-110/85/2308/रा0, दिनांक-03.07.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित प्रदेश के अनुपालन में गैरजागरूकता खास भूमि की कायम की गयी जायवतियों की जाच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

गौजा-सावकीर थाना-शिवपुर, खाला संख्या-238, प्लॉट संख्या-447 रकबा 02.59 एकड़ की भूमि जो गैरजागरूकता खास जायवाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सारकारी भूमि है, जिसका जायवदी उर गौजा के पंजी-1 के जिल्द संख्या-1 के पृष्ठ संख्या-445, पर जायवदी रकबा 02.59 महु-रकी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंतन निरिक्षक द्वारा जाचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के गिरुद्ध कायम जायवदी को सविध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंतन निरिक्षक द्वारा समर्पित जाच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जायवदी बिना सहाय प्रधिकार के जाच के / अवैध रूप से स्वी के आधार पर / अवैध तरीके कर बदोवस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की योजित जायवदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(b) के तहत जाच किया जाना बाध्यकारी प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जायवदी रकब को जाचिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-संपादन के संबंधित मूल दरसावेजों/निर्गत लगान स्वीद को मांग करे तथा उनको कारण-पुच्छ करे कि क्यों नहीं उचित जायवदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(b) के तहत सहाय प्रधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपररूपाधित करे।

अंशुल अधिकारी

अंशुल अधिकारी
निरसा, धनबाद

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
१५.११.२०	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार शैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- १५.११.२० को उपस्थापित करें।	
१५.११.२०	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार शैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निर्बंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनातापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक- १५.११.२० को उपस्थापित करें।	
२१.१२.२०	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं०-6144/रा०, दिनांक-21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द	


अनंद कुमार
अधिकारी,
निरसा।


अनंद कुमार
अधिकारी,
निरसा।

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान के
जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-...
मौजा नं०-254, खाता सं०-238, प्लॉट सं०-114, रकबा-2 अर्ब
गत् सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी
क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास
150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्यमार्ग के 150-150
मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं
की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा
अवैध जमाबंदीदार शैत-... के नाम से पंजी-II में
कायम जमाबंदी संख्या-... को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।
अंतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-... को रद्द करने हेतु अनुशंसा
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अभिकर्ता,
निसरसा